न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0:-821/2019

दाउदनगर थाना कांड संख्या :-339/2019

01.02.2020 आवेदक सोनु कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ उक्त वाद में जप्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन मॉडल नं0-ZX2200LC-GI IDENTIFICATION NO THEDC0L0T00001050 की मुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक-04.11.2019 को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक-04.11.2019 के आलोक में आवेदक सोनु कुमार के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन मॉडल नं0-ZX2200LC-GI IDENTIFICATION NO THEDC0L0T00001050 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन का स्वामी उक्त आवेदक है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन को मुक्त किया जाय । टाटा हिटाची पोकलेन मशीन की मुक्ति हेतु न्यायालय के आदेश का आवेदक अक्षरशः पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन मॉडल नं0-ZX2200LC-GI IDENTIFICATION NO- THEDC0L0T00001050 दाउदनगर थाना में जप्त है । उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि ''उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है तथा मुक्त किया जा सकता है ।'' उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन से सम्बन्धित जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-463/विधि दिनांक-29.01.2020 के द्वारा समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन का स्वामी सोनु कुमार, पोकलेन मशीन मॉडल नं0-ZX2200LC-GI IDENTIFICATION NO-THEDC0L0T00001050 है एवं उक्त वाहन के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । आवेदक की ओर से उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन का खारीदगी प्रमाण पत्र, इन्व्यास नं0 एवं बीमा प्रमाण पत्र की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन का नम्बर अनुसंधानकर्ता एवं जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद के प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त मशीन की बीमा की वैधता दिनांकः-20.06.2020 की मध्य रात्रि तक है । उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखाते हुए उक्त आवेदक सोनु कुमार के पक्ष में उक्त जप्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन मॉडल नं0-ZX2200LC-GI IDENTIFICATION NO-THEDC0L0T00001050 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में आवेदक सोनु कुमार के पक्ष में उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन मॉडल नं0-ZX2200LC-GI IDENTIFICATION NO- THEDC0L0T00001050 को मो0-60,00000X2 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन की खारीदगी प्रति, इन्व्यास नं0 एवं बीमा की प्रति की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं टाटा हिटाची पोकलेन मशीन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त टाटा हिटाची पोकलेन मशीन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।